



2026:AHC:22734

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या – 412 / 2026

प्रदीप कुमार

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद व 7 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	विशाल खंडेलवाल
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग ने प्रस्तुत रिट याचिका दायर करने में 4273 दिनों के विलंब की रिपोर्ट दी है। विलंब का स्पष्टीकरण रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 18 में दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल खंडेलवाल और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. परिहार को सुना गया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद मौजा- ग्वालरा, परगना व तहसील- गभाना, जिला- अलीगढ़ में स्थित प्लॉट संख्या 612, 160, 231 से संबंधित है। चरण सिंह की पत्नी रेवती देवी उपरोक्त विवादित भूखंडों के 1/2 हिस्से की सह-खातेदार थीं। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3.8.1987 के पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर रेवती देवी का दत्तक पुत्र होने के नाते अधिकार का दावा किया। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 (रेवती देवी की पुत्रियाँ) द्वारा दिनांक 26.7.2001 को निष्पादित एक विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता के साथ-साथ रेवती देवी द्वारा दिनांक 26.7.2001/ 27.7.2001 के विक्रय विलेख को रद्द करने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर एक सिविल वाद संख्या 675/2025 सिविल जज सीनियर डिवीजन, अलीगढ़ के समक्ष लंबित है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में, तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.5.2002 को दिनांक 26.7.2001 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। दिनांक 18.5.2002 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 13.6.2002 का पुनर्स्थापना आवेदन आदेश दिनांक 10.1.2003 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। तहसीलदार के दिनांक 18.5.2002 और 10.1.2003 के आदेशों के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत दायर अपील को उप-जिलाधिकारी द्वारा सुना गया और दिनांक 27.9.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत दायर पुनरीक्षण को अपर आयुक्त द्वारा सुना गया और दिनांक 21.9.2006 के आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 27.9.2004 को निरस्त कर दिया गया और मामले को तहसीलदार के समक्ष पुनः प्रेषित कर दिया गया कि वे दिनांक 13.6.2002 के बहाली आवेदन पर विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय लें। प्रतिवादी संख्या 6 ने अपर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 21.9.2006 के आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से राजस्व परिषद के समक्ष चुनौती दी। राजस्व परिषद ने दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17.2.2014 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार कर ली, अपर आयुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 21.9.2006 को निरस्त कर दिया और यह टिप्पणी की कि सारांश कार्यवाही में पारित आदेश सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के अधिनिर्णयन के अधीन होगा। अतः निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका प्रस्तुत है:

"उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 / राजस्व परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा पुनरीक्षण संख्या 1853/एल.आर./2006-07 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.2.2014 (संलग्नक संख्या 1) को रद्द करता हो।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दायर पुनरीक्षण का अवैध रूप से स्वीकार किया गया और पुनरीक्षण में अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रेषण आदेश के विरुद्ध अनुमति दी गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने बहाली आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को तहसीलदार के पास उचित रूप से प्रेषित किया था, अतः, पुनरीक्षण में अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रेषण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर अधिकार का दावा कर रहा है, जिसे दत्तक ग्रहण विलेख को रद्द करने के लिए दायर सिविल वाद में बरकरार रखा गया है, अतः, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सही है कि याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत विक्रय-विलेख को रद्द करने के लिए एक सिविल वाद दायर किया है, लेकिन पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और तहसीलदार को पुनरीक्षण में अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रेषण आदेश के अनुपालन में बहाली आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रस्तुत रिट याचिका दायर करने में 11 वर्ष से अधिक का विलंब है, अतः, रिट याचिका को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा विक्रय-विलेख को रद्द करने के लिए दायर सिविल वाद सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है, अतः, विक्रय-विलेख के आधार पर प्रश्नगत भूखंड पर निजी प्रतिवादियों का नाम दर्ज करने के राजस्व परिषद के उस आदेश में कोई अवैधता नहीं है, जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि सारांश कार्यवाही में पारित आदेश सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के अधिनिर्णयन के अधीन होगा।

6. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार ने दिनांक 26.7.2001 के पंजीकृत विक्रय-विलेख के आधार पर निजी प्रतिवादी का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है और तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध दायर बहाली आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण स्वीकार कर ली गई थी और मामला दिनांक 13.6.2002 के बहाली आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए तहसीलदार के समक्ष वापस प्रेषित कर दिया गया था। इस तथ्य के बारे में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में भी कोई विवाद नहीं है कि राजस्व परिषद ने अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया है और निजी प्रतिवादी का नाम दर्ज करने के तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा है।

8. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.7.2001/ 27.7.2001 के विक्रय विलेख को निरस्त करने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर सिविल वाद संख्या 675/2025 सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न निजी प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण को 11 वर्ष पूर्व स्वीकार कर लिया गया था, जिसके द्वारा निजी प्रतिवादी के पक्ष में पारित दाखिल-खारिज के आदेश को बरकरार रखा गया था, अतः, 11 वर्ष पूर्व पुनरीक्षण में राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.2.2014 को चुनौती देते हुए वर्ष 2026 में प्रस्तुत रिट याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, राजस्व परिषद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.2.2014 में कोई अवैधता नहीं है, जिसने पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर निजी प्रतिवादी के पक्ष में पारित दाखिल-खारिज आदेश को इस स्पष्टीकरण के साथ बरकरार रखा कि सारांश कार्यवाही में पारित आदेश सिविल न्यायालय द्वारा विवाद के अधिनिर्णयन के अधीन होगा।

10. उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत कार्यवाही में राजस्व परिषद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(चंद्र कुमार राय, जे.)

3 फरवरी, 2026

रमीज़

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"